

**ग्राम पंचायत लागधार, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत लागधार, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री अमर सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री जीवन लाल	01.04.14 से 26 .08.16
2	श्री नेत्र सिंह	26.08.16 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत लागधार, विकास खण्ड सदर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खाते में भारी अन्तर	0.83
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.07
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	17.72
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.28
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	3.85
भाग	6	10 व्ययो से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करना	2.44

- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत लागधार, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.01.2018 से 29.01.2018 तक ग्राम पंचायत

कार्यालय मे किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03 /2015	03 /2015
2015-16	03 /2016	01 /2016
2016-17	03 /2017	02 /2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा I

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत लागधार, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है I उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिोप्रो) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 29.01.2018 द्वारा अनुरोध किया गया I

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत लागधार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्रौत :- ग्राम पंचायत लागधार, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रौतों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	138268.77	57275	195543.77	28026	167517.77
2015-16	167517.77	35034	202551.77	34912	167639.77
2016-17	167639.77	61426	229065.77	37076	191989.77

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत लागधार के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 A में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	699636.23	5565093	6264729.23	5710252	554477.23
2015-16	554477.23	6896874	7451351.23	6427036	1024315.23
2016-17	1024315.23	6671068.49	7695383.72	5922894	1772489.72

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष :	₹191989.77
अनुदान :-	
दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष :	₹1772489.72
स्व स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में	
दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष :	₹1964479.49
बैंक खातों पर ब्याज जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टी	
नहीं की गई (संलग्न परीशिष्ट -3)	₹1736.00
रोकड़ बहियों का वास्तविक अंत शेष	₹1966215.49
दिनांक 31.03.2017 को बैंक खातों का शेष	₹2048480.15
(संलग्न परीशिष्ट -2)	

हस्तगत राशि	₹457.00
कुल योग	₹2048937.15
अंतर	₹82721.66

बैंक खाता संख्या	राशि
314110104557	42408
314110100053	1887244.15
87181700116101	1046
87181700116059	3021
87181700116129	87183
87181700116077	27578
कुल योग	₹2048480.15

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.83 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹82721.66 का अन्तर पाया गया, (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है) जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए एवं भविष्य में नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख की वसूली शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मोबाइल टावर फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 को ₹7500 शेष वसूली हेतु थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।

मोबाइल टावर फीस :

(परिशिष्ट-4)

वर्ष	अथशेष	वर्ष की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	2500	2500	0	2500
2015-16	2500	2500	5000	0	5000
2016-17	5000	2500	7500	0	7500

6 अनुदान ₹17.72 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1 A) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1772489 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.28 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹428293 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹3.85 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। विभिन्न माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-6 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹385197 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म में तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया व्यय अनियमित एवं आपतिजनक है। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

10 ₹2.44 लाख व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न तिथियों को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹243560 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। विवरण निम्नलिखित है:-

क्रं सं.	वा. सं./माह	बिल सं./ dt.	विवरण	राशि	अंकेक्षण आपति
1.	26 माह 03/15	01 dt.24.01.15	किराये पर JCB मशीन की सेवाएँ	90000	बिल में दर्शाए गये 90 घंटों का विवरण और बनाई गये मार्ग की लम्बाई नहीं बताई गयी। संस्था को रसीद संख्या 18508 दिनांक 13.09.17 द्वारा किये गये भुगतान से संबंधित बिल प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	34 माह 02/16	-	हिम उर्जा से 10 नंबर सोलर स्ट्रीट लाइट की खरीद	153560	
कुल योग				₹243560	

11 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करवाना :-

ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में जाँच करने पर पाया गया कि उक्त माप पुस्तिकाओं में पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया गया है। हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (c) के अनुसार माप पुस्तिकाओं का

सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। अतः इस बारे नियमों का पालन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में इस बारे सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

12 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

13 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(xi) 54 / 2018 खण्ड-1-3742-3745 दिनांक

25.05.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत लागधार्, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हि0प्र0

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881